आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत **पन्तगॉव–चमड़खान–सैलापानी मोटरमार्ग का (सिमलधार से सैलापानी)** तक विस्तार हेतु प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने के सबंध मे अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 2814 / 18 सी. दिनांक 01–12–201 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर तहसीलदार, सल्ट के पत्रांक 120 / क्ष0पू0वृ0रो0–प्र0 / 2015, दिनांक 30–11–2015 के द्वारा क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों सहित उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु मसिणयाबॉज, पटवारी क्षेत्र–झिमार, तहसील–सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–85 की श्रैणी–10(4) " ब0ना0का0आ0 " के पैमायसी खेत न0 456 रक्वा–3.072 है0, खेत न.0–441 मध्ये–0.798 है0, इस प्रकार **कुल 3.870 हैक्टयर** सिविल भूमि को उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के **प्रशासनिक नियन्त्रण** मे हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट कृ0 तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

Diary No. 180
File No. 18 सी
Date 11/1/16

ह0 / –
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 1945 / ग्यारह– / 2015–16, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि–निम्नाकिंतो को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत ।
3. उप जिलाधिकारी, सल्ट जनपद–अल्मोड़ा ।
4. तहसीलदार, सल्ट को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

पत्रावली संख्या 18 सी अभिलेख हेतु

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा